



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र, 1945 (श०)

संख्या - 520 राँची, सोमवार,

28 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

23 जून, 2023

संख्या-12/आरोप-10-01/2022 का०-3610--उपायुक्त, राँची के पत्रांक-2016(ii), दिनांक-22.12.2017 के द्वारा श्री दीपक कुमार वर्मा, तत्कालीन आप्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन "बिरसा मुण्डा विमानपत्तन विस्तारीकरण परियोजना के अंतर्गत ग्राम-हेथु के अर्जित भूमि (खाता सं० -14, खेसरा सं०-1300, रकबा-0.24 एकड़) में अवैध तरीके से धोखाधड़ी पूर्वक केनरा बैंक के ड्राफ्ट संख्या-704357, दिनांक-26.03.2015 के माध्यम से प्राप्त की गई मुआवजा राशि रुपये 20,38,418 (बीस लाख अड़तीस हजार चार सौ अठारह रुपये मात्र) के संबंध में श्री वर्मा के विरुद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-276, दिनांक-09.01.2018 के द्वारा उनसे स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। श्री वर्मा, आप्त सचिव के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों का विवरण निम्नवत् है :-

(क) आरोप संख्या-01:- श्री दीपक कुमार वर्मा, आप्त सचिव (सम्प्रति निलंबित) द्वारा तथ्यों को छिपाकर दिनांक-19.03.2015 को ग्राम-हेथु में आयोजित शिविर में बिरसा मुण्डा विमानपतन विस्तारीकरण परियोजना के अंतर्गत ग्राम-हेथु के अर्जित भूमि (खाता सं0-14, खेसरा सं0-1300, रकबा-0.24 एकड़) के विरुद्ध केनरा बैंक के ड्राफ्ट संख्या-704357, दिनांक-26.03.2015 के माध्यम से रुपये 20,38,418 (बीस लाख अड़तीस हजार चार सौ अठारह रुपये मात्र) उक्त भूमि की मुआवजा राशि के रूप में अवैध तरीके से धोखाधड़ी पूर्वक प्राप्त किया गया है जिसके वे हकदार नहीं थे ।

(ख) आरोप संख्या-02:- श्री दीपक कुमार वर्मा, आप्त सचिव (सम्प्रति निलंबित) द्वारा किया गया उक्त कार्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) एवं (iii) के प्रतिकूल आचरण है ।

2. उपर्युक्त गठित आरोपों के विरुद्ध श्री वर्मा के द्वारा दिनांक-24.01.2018 को समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-1997, दिनांक-19.03.2018 (सहपठित शुद्धि पत्र ज्ञापांक-3580, दिनांक-28.05.2018) के द्वारा उपायुक्त, राँची से मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। उपायुक्त, राँची के पत्रांक-1261(ii), दिनांक-03.08.2018 के द्वारा श्री वर्मा के स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार प्रतिवेदन एवं अपने मंतव्य में आरोपी पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण में समर्पित तथ्यों को अस्वीकार किया गया है ।

3. तत्पश्चात् कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-7175, दिनांक-24.09.2018 के द्वारा श्री वर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों को प्रथम द्रष्टया प्रमाणित पाए जाने के आधार पर उक्त आरोपों की जांच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-253, दिनांक-18.12.2018 द्वारा श्री वर्मा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप के संबंध में साक्ष्य, आरोपी का बचाव बयान एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में अपने निष्कर्ष में श्री वर्मा के विरुद्ध गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित पाया गया ।

4. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची के पत्रांक-455(ii), दिनांक-02.02.2019 के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया गया कि श्री वर्मा द्वारा प्राप्त की गयी मुआवजे की राशि 20,38,418/-रु०, चेक के माध्यम से जमा किया गया है ।

उपायुक्त, राँची के पत्रांक-724(ii), दिनांक-12.03.2019 द्वारा विभागीय पत्रांक-1908, दिनांक-28.02.2019 के आलोक में श्री वर्मा द्वारा अवैध तरीके से धोखाधड़ी पूर्वक प्राप्त की गयी मुआवजे की राशि 20,38,418/-रु० पर चक्रवृद्धि ब्याज, दिनांक-26.03.2015 से दिनांक-25.03.2018 तक 18% एवं दिनांक-26.03.2018 से दिनांक-10.05.2018 तक 10.5% की दर से कुल राशि 37,00,850.53/-रु० की गणना की गयी है, जिसमें 20,38,418/-रु० जमा किए जाने के पश्चात अवशेष राशि 16,62,433/-रु० वसूलनीय प्रतिवेदित की गयी, जिसकी अदायगी श्री वर्मा द्वारा अब तक नहीं किए जाने की स्थिति में वसूलनीय सूद की राशि में अभिवृद्धि संभावित है ।

5. श्री वर्मा के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के आधार पर दण्ड अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-6452, दिनांक-11.12.2020 द्वारा श्री वर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा एक पक्ष के अंदर समर्पित करने हेतु किए गए अनुरोध के आलोक में उनके द्वारा दिनांक-28.12.2020 को द्वितीय कारण पृच्छा का स्पष्टीकरण एवं दिनांक-04.01.2021 को पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

6. श्री दीपक कुमार वर्मा, निलंबित आप्त सचिव द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुये जांच पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन में सिद्ध दोष के आधार पर समीक्षोपरांत अनुमोदित प्रस्ताव के क्रम में श्री दीपक कुमार वर्मा, निलंबित आप्त सचिव को निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2016 के नियम-14 (viii) के तहत श्री दीपक कुमार वर्मा को आप्त सचिव कोटि से निजी सहायक कोटि के न्यूनतम प्रक्रम (9300-34,800, ग्रेड पे-4600, पुनरीक्षित वेतनमान, पे मैट्रिक्स लेवल- 07,44,900-1,42,400) में पदावनत किया जाता है।

(ख) श्री वर्मा को निजी सहायक (9300-34,800, ग्रेड पे-4600, पुनरीक्षित वेतनमान, पे मैट्रिक्स लेवल- 07, 44,900-1,42,400) में पदावनत की अवधि 07 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। इसका प्रभाव समाप्त होने के पश्चात उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु विहित कालावधि पूर्ण करने पर उच्चतर पद/कोटि में प्रोन्नति हेतु नियमानुसार विचार किया जा सकेगा।

(ग) झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पदधारकों की वरीयता सूची की मूल वरीयता में श्री वर्मा की वरीयता अप्रभावित रहेगी।

7. श्री दीपक कुमार वर्मा, निलंबित आप्त सचिव से वसूलनीय सूद की राशि की गणना एवं वसूली(वेतन से किस्तों में कटौती) के बिन्दु पर वित्त विभाग की सहमति के उपरांत वसूली की कार्यवाई की जायेगी।

8. श्री दीपक कुमार वर्मा, निलंबित आप्त सचिव को निलंबन से मुक्त करते हुये कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान करने का निर्देश दिया जाता है। अपराधिक वाद संख्या-4113/2015 में पारित न्याय निर्णय के पश्चात् निलंबन अवधि का विनियमन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

9. उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री वर्मा के द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनांक-08.02.2022 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसका मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

(i) प्रशासी विभाग द्वारा अधिरोपित दंड न्यायसंगत नहीं है तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के राज्यादेश संख्या-8000, दिनांक-02.09.2015 (पृ0 04-02/प0) में निहित प्रावधानों के विरुद्ध है। खाता संख्या-14, खेसरा संख्या-1300 रकबा 36 डि0 उनके नाम निबंधित थी, जिसे उन्होंने श्रीमती पवन रेखा देवी को बिक्री किया था। श्रीमती पवन रेखा देवी एवं अन्य द्वारा दायर W.P. (C)No.-4287/2013 माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा दिनांक-06.03.2013 को निरस्त कर दिया गया एवं बिरसा मुण्डा विमानपतन विस्तारीकरण एवार्ड में मेरा नाम रहने के कारण भूअर्जन कार्यालय, राँची द्वारा मेरे नाम 20,38,418/- एवार्ड की राशि हस्तांतरित की गई।

(ii) इस मामले में भू-अर्जन कार्यालय, राँची द्वारा उनके विरुद्ध आपराधिक वाद संख्या-4113/2015 दायर की गई है, जो सम्प्रति न्यायालय में विचारधीन है। भू-अर्जन कार्यालय, राँची के आदेशानुसार भू-अर्जन कार्यालय, राँची को एवार्ड में प्राप्त पूरी राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।

(iii) विषयगत मामला कार्यालय क्षेत्र से बाहर होने के उपरांत भी प्रशासी विभाग द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। भूअर्जन कार्यालय को अवाई की राशि ₹0-20,38,488/-वापस करने का आदेश अधिरोपित किया गया। उक्त ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से की गई।

(iv) प्रशासी विभाग द्वारा आर्थिक दंड दिया जा चुका है, साथ ही, वे तीन वर्ष नौ माह तक निलंबित रहकर आर्थिक एवं मानसिक क्षति का सामना कर चुके हैं। फिर उपर्युक्त दंडादेश द्वारा उन्हें अपने संवर्ग के निम्नतम प्रक्रम में पदावनत कर तीन तरह का दंड दिया गया है।

10. आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-7104, दिनांक-19.09.2018 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध उनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन से स्पष्ट है कि श्री वर्मा द्वारा गलत तरीके से एवार्ड की राशि प्राप्त की गई है एवं वाद में भूअर्जन कार्यालय, राँची से प्राप्त नोटिस के पश्चात उक्त राशि को भू-अर्जन कार्यालय, राँची को वापस भी कर दिया है। उक्त से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी ने गलत तरीके से राशि प्राप्त करने के आरोप को स्वीकार किया है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में प्रायः उन्हीं तथ्यों को उपस्थापित किया गया है, जो विभागीय कार्यवाही संचालन के क्रम में उनके द्वारा प्रस्तुत किया है। आरोप को अप्रमाणित करने हेतु उनके द्वारा कोई विशेष तथ्य को प्रस्तुत न कर मात्र उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि वापस कर दी गई है। उन्हें एक ही मामले में तीन दंड दिया गया है। उनके द्वारा विचाराधीन मामले में न्यायालय से अंतिम निर्णय पारित होने तक विभागीय कार्यवाही में दण्ड के बिन्दु पर निर्णय नहीं लेने का अनुरोध किया गया है।

11. अतः समीक्षोपरांत, श्री दीपक कुमार वर्मा, तत्कालीन आप्त सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, सम्प्रति निजी सहायक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची (प्रतिनियुक्त-राज्यपाल सचिवालय) द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या-4993, दिनांक-21.09.2021 से अधिरोपित शास्ति को यथावत रखा जाता है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री दीपक कुमार वर्मा, निजी सहायक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची (प्रतिनियुक्त-राज्यपाल सचिवालय) एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव।
